(2007) 10 SCR 149

फल कमिशन एजेंट एसोसिएशन व अन्य

बनाम

आंध्र प्रदेश राज्य व अन्य

20 सितम्बर, 2007

[न्यायमूर्ति ए.के. माथुर और न्यायमूर्ति मार्कंडेय काटजू]

कृषि उपज बाजार समिति - दुकानों/गोदामों के किराए में संशोधन को - चुनौती दी गई-अभिनिर्धारित किया; संशोधित किराया तय करने से पहले बाजार समिति द्वारा विभिन्न कारकों पर विचार किया गया- किराया तय करना एक कार्यकारी कार्य है और न्यायपालिका वेडनसबरी सिद्धांतों को छोड़कर इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है- उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को सही ढंग से खारिज कर दिया- प्रशासनिक कानून-कार्यकारी निर्णय- में हस्तक्षेप।

टाटा सेल्युलर **बनाम** भारत संघ, **एआईआर (1996) एससी 11 एवं** एस.सी. चंद्रा व अन्य बनाम झारखंड राज्य व अन्य, **जेटी (2007) 104 एससी 272, से मार्गदर्शन लिया गया।**

मोंटेस्क्यू की "दी स्पिरिट ऑफ लॉ" **के ग्यारहवें अध्याय का उल्लेख किया गया।**

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार; सिविल अपील संख्या 2426-2428/2000।

हैदराबाद स्थित आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के रिट पिटीशन नम्बर 2820/1992 तथा रिट पिटीशन रिविजन मिस्लेनियस पिटीशन नम्बर 9554-

9555/1997 के निर्णय व आदेश दिनांक क्रमश: 17.2.1997 तथा 29.4.1999 से।

अपीलार्थियों की ओर से एम.एन. राव तथा टी.वी. नारायणा, टी.एन. राव, मंजीत किरपाल, परमजीत तथा डी. महेश बाबू।

प्रत्यर्थीगण की ओर से आर. सुंदरवर्धन, बी. श्रीधर, के. राम कुमार, डी. भारथी रेड्डी तथा देबोजीत बोरकाकाती, उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:

आदेश

1. पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया।

2. संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत ये अपीलें रिट याचिका में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की रिट याचिका संख्या 2820/1992 में दिनांक 17.2.1997 के आक्षेपित निर्णय के खिलाफ दायर की गई, जो कि उच्च न्यायालय के रिट याचिका संख्या 2806/1992, दिनांक 17.2.1997 के निर्णय का अनुसरण करता है।

3. हमने उच्च न्यायालय की रिट याचिका संख्या 2806/1992 के निर्णय का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया तथा उसमें कोई त्रुटि नहीं पाई गई।

4. मामले के तथ्य यह हैं कि फलों का थोक कारोबार हैदराबाद शहर के जामबाग इलाके में अवस्थित था। सड़क के दोनों ओर स्थित होने के कारण इसने यातायात की बहुत सारी समस्याओं को बढावा दिया और वहां विक्रेताओं और खरीदारों के लिए कोई सुविधाएं नहीं थीं। इसलिए बढ़ती हुई यातायात समस्याओं को कम करने तथा बेहतर विपणन सुविधाएं प्रदान करने के लिए कृषि बाजार समिति ने हैदराबाद शहर के बाहरी इलाके में स्थित गद्दियानारम में थोक व्यापार को स्थानान्तरित करने के लिए 1985 में 3.5 करोड रुपये की लागत से 22 एकड़ विशाल भूमि का अधिग्रहण किया। प्रत्यर्थीगण द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि दुकान-सह-गोदाम (शेडस) का प्रकार-डिज़ाइन और प्रस्तावित निर्माण फल कमिशन एजेंटों जो कि जामबाग क्षेत्र में व्यवसाय कर रहे थे, के प्रतिनिधियों के परामर्श के बाद ही किया गया था तथा उसी के अनुसार दुकानों का निर्माण किया गया था।

5. दुकानों के आवंटन के लिए एक उप-समिति का विधिवत गठन कर एक प्रक्रिया तैयार की गई, तथा उप-समिति ने फल कमिशन एजेंटों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया, और उनके साथ परामर्श के बाद दुकानों-सह-गोदामों को कृषि बाजार समिति, हैदराबाद द्वारा निर्धारित प्रत्येक व्यक्ति

के व्यवसायिक टर्न ऑवर की मात्रा के आधार पर मासिक किराए के भुगतान के अधीन ग्यारह महीने के लिए पट्टे पर आवंटित किया गया।

6. दुकानों-सह-गोदामों के आवंटन पर कमीशन एजेंटों ने अपना थोक व्यवसाय गद्दियानारम स्थित फल बाजार में स्थानांतरित कर दिया। यह कहा गया है कि बाजार समिति ने अर्ध-स्थायी आधार पर दुकान-सह-गोदाम का निर्माण किया है, प्रत्येक शेड की दीवार की ऊंचाई 14' है, जिसमें सीमेंट मोर्टार में ईंट की चिनाई वाली दीवार, सीजीआई शीट्स द्वारा कवर किए गए अच्छी तरह से निर्मित स्टील ट्यूबुलर ट्रूसेस शामिल हैं।

7. अपीलकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि शेडस पक्के निर्माण नहीं हैं तथा स्थायी प्रकृति के नहीं हैं, लेकिन प्रत्यर्थियों द्वारा इससे इनकार किया गया। इस न्यायालय के लिए इस विवाद बिंदु पर विनिश्चय देना संभव नहीं है, तथा उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय में इस प्रश्न पर कोई चर्चा नहीं नहीं की गयी है। इसलिए यह स्पष्ट है कि इस बिंदु को उच्च न्यायालय के समक्ष नहीं रखा गया था।

8. इस मामले में विवाद किराये के विषय में है। बाजार समिति द्वारा फ्रूट कमीशन एजेंटों द्वारा अभिवक्त मत को ध्यान में रखते हुए और सरकार के जी.ओ. आरटी क्रमांक 589 खाद्य एवं कृषि विभाग दिनांक 6.4.1987 द्वारा अनुमोदित किराये को विचाराधीन रखते हुए किराया तय

किया गया था। बाजार समिति के कार्यकारी अभियंता की अनुशंसा पर बाजार समिति द्वारा दो वर्ष पश्चात किराये की समीक्षा की गई।

9. प्रत्यर्थीगण द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने जमीन की खरीद के लिए 3.50 करोड़ रुपये खर्च किए, और व्यापारियों को विभिन्न सुख-सुविधाएं प्रदान की है यथा मार्केट यार्ड के रखरखाव के लिए हर महीने 2 लाख रूपये खर्च करने के अतिरिक्त बैंक भवन, रैयत विश्राम गृह, खुला नीलामी मंच, मार्केट यार्ड में सीमेंट सड़कें बिछाने के खर्चे के 3 करोड़ रुपये आदि। वहां पानी और बिजली की आपूर्ति, जल निकासी और स्वच्छता की भी व्यवस्थाएं की गई हैं।

10. यह उल्लेख किया जा सकता है कि अपीलार्थी फ्रूट कमीशन एसोसिएशन ने उच्च न्यायालय में रिट पिटीशन संख्या 10026/1992 दायर की थी, जिसमें प्रत्यर्थियों को एक पक्का स्थायी बाजार परिसर बनाने का निर्देश देने के लिए प्रार्थना की गई थी और एकल विद्वान न्यायाधीश ने दिनांक 4.12.1992 के आदेश द्वारा 6 माह के भीतर बाजार समिति को स्थायी शेड बनाने और उन्हें व्यापारियों को सौंपने का निर्देश दिया था। व्यथित होकर डब्ल्यू ए. नंबर 342/1993 तथा 172/1993 अपीलें दायर की गईं, जिन्हें कुछ निश्चित सुधार करने के निर्देश के साथ निस्तारित कर दिया गया। प्रत्यर्थीगण द्वारा यह अभिकथित किया गया कि

तदनुसार दोनों प्लेटफार्मों के बीच सीमेंट कंक्रीट बिछाई गई, एवं अन्य सुधार किए गए। यह अभिकथित है कि यदि वर्तमान शेडों को आर.सी.सी. संरचनाओं में बदल दिया जाता है तो इसमें अतिरिक्त भारी लागत लगेगी। यह अभिकथित है कि वर्तमान दुकानों-सह-गोदामों का निर्माण 1986 में अपीलकर्ता एसोसिएशन के परामर्श के बाद मार्केट समिति द्वारा करवाया गया था। शुरू में रियायती किराया लिया जाता था, और जब किराया संशोधित किया गया तो रिट पिटीशन क्रमांक 2806/1992, 2820/1992 तथा 3565/1992 दायर की गयी थी, जिनमें आक्षेपित निर्णय पारित किया गया था।

11. प्रत्यर्थियों द्वारा यह अभिकथित किया गया कि वे इस उद्देश्य के लिए पहले ही 6.50 करोड़ रुपये (जमीन के लिए 3 करोड़ रुपये, तथा निर्माण के लिए 3.5 करोड़ रुपये) रुपये खर्च कर चुके हैं। फलों की नीलामी के लिए मार्केट यार्ड में 62 लाख रूपये की लागत से दो बड़े आकार के मंच निर्मित किये गये हैं। इसके अलावा, एक इलेक्ट्रॉनिक वेट ब्रिज तथा 3000 मीट्रिक टन क्षमता वाला एक शीत भंडारण संयत्र उपलब्ध करा दिया गया है। बाजार समिति ने नीलामी के संचालन के लिए आरसीसी प्लेटफार्मों का निर्माण किया, एवं मुफ्त बिजली, कचरा निपटान आदि की व्यवस्था के लिए हर महीने 1.75 लाख रुपये खर्च किए जाते हैं।

12. यह अभिकथित है कि अगर बाजार समिति द्वारा पक्की दुकानें बनायी जाती है तो मात्र 51 दुकानें-सह-गोदाम के लिए 3.70 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय करना होगा।

13. इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर, हम पाते हैं कि इन अपीलों में कोई गुणावगुण नहीं है। रिट पिटीशन 2820/1992 में दिनांक 17-02-1997 के आक्षेपित निर्णय में रिट पिटीशन नम्बर 2806/1992 के जिस निर्णय का अनुसरण किया गया है, उसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि संशोधित किराया तय करने से पहले बाजार समिति द्वारा विभिन्न कारकों को ध्यान में रखा गया था।

14. किराया तय करना एक प्रशासनिक कार्य है तथा टाटा सेल्यूलर बनाम भारत संघ, एआईआर (1996) एससी 11 के आधार पर न्यायालय प्रशासनिक निर्णयों पर अपीलीय न्यायालय के रूप में नहीं बैठ सकता है, इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण सही है।

15. जैसा कि हम एस.सी. चंद्रा व अन्य बनाम झारखंड राज्य व अन्य, जेटी (2007) 10 4 एससी 272 में अभिनिर्धारित कर चुके हैं, कि न्यायपालिका को संयम बरतना चाहिए तथा विधायी या कार्यकारी क्षेत्र में आमतौर पर अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। हमारी राय में किराया तय करना एक कार्यकारी कार्य है और इसलिए न्यायपालिका वेडनसबरी सिद्धांतों

को छोड़कर इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। संविधान के तहत शक्तियों का व्यापक पृथक्करण है तथा आमतौर पर राज्य के एक अंग को दूसरे के क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। मोंटेस्क्यू का शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत (उनकी पुस्तक "द स्पिरिट ऑफ लॉज़स" का ग्यारहवां अध्याय) व्यापक तौर पर भारत में भी लागू होता है।

16. इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, हम इन अपीलों को खारिज करते हैं, लेकिन बाजार समिति से अनुरोध करते हैं कि अपीलकर्ता की किसी भी वास्तविक शिकायत पर शीघ्रता से विचार करें। कोई कोस्ट नहीं।

आर.पी.

अपीलें खारिज

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी निधि शर्मा प्रथम (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।